

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-17/2017-99 (आवंटन) /कृ. पटना, दिनांक 24-11-2017

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, सिवान/नालंदा।

विषय :

वर्ष 2017-18 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर सिचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 150.7175 करोड़ रु० तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रु० कुल 175.00 करोड़ रु० (एक अरब पचहत्तर करोड़ रु०) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹1,12,41,251 (एक करोड़ बारह लाख एकतालीस हजार दो सौ एकावन रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

प्रसंग:-

जिला पदाधिकारी, सिवान का पत्रांक:-1317 दिनांक-08.11.2017/नालंदा का पत्रांक:-1096 दिनांक-02.11.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2293 दिनांक-02.06.2017 द्वारा वर्ष 2017-18 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर सिचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 150.7175 करोड़ रु० तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रु० कुल 175.00 करोड़ रु० (एक अरब पचहत्तर करोड़ रु०) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹1,12,41,251 (एक करोड़ बारह लाख एकतालीस हजार दो सौ एकावन रूपये) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	विपत्रकोड 01-2401001090103	विपत्रकोड 01-2401007890125	विपत्रकोड 01-2401007960147	योग
1	जिला पदाधिकारी, सिवान	41,62,250	4,27,200	47,500	46,36,950
2	जिला पदाधिकारी, नालंदा	66,04,301	-	-	66,04,301
	योग	1,07,66,551	4,27,200	47,500	1,12,41,251

2. उपरोक्त ₹1,12,41,251 (एक करोड़ बारह लाख एकतालीस हजार दो सौ एकावन रूपये) मात्र में से ₹1,07,66,551 (एक करोड़ सात लाख छियासठ हजार पाँच सौ एकावन रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0103-बाढ़-सुखाड़ की अपातकालीन योजना विपत्र कोड-01-2401001090103, विषयशीर्ष-0103.33.01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹1,12,41,251 (एक करोड़ बारह लाख एकतालीस हजार दो सौ एकावन रूपये) मात्र में से ₹4,27,200 (चार लाख सताईस हजार दो सौ रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0125-बाढ़-सुखाड़ की अपातकालीन योजना विपत्र कोड-01-2401007890125, विषयशीर्ष-0125.33.01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹1,12,41,251 (एक करोड़ बारह लाख एकतालीस हजार दो सौ एकावन रूपये) मात्र में से ₹47,500 (सैंतालीस हजार पाँच सौ रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0147-बाढ़-सुखाड़ की अपातकालीन योजना विपत्र कोड-01-2401007960147, विषयशीर्ष-0147.33.01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक:-3002 वि. (2) दिनांक-26.04.2017 के आलोक में दी जा रही है।

